न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2573–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–07–2015 पारित द्वारा तहसीलदार राधौगढ़ जिला गुना के प्रकरण कमांक 2/अ–70/2014–15

.....

1–बनवारी लाल पुत्र हरनाम सिंह यादव

2–कमलेश पुत्र हरनाम सिंह यादव

3–भीकमसिंह पुत्र हरनाम सिंह यादव

निवासीगण ग्रम विजयपुर तहसील राधौगढ़

जिला गुना म0प्र0 ..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–हरीसिंह पुत्र मदनसिंह यादव

2–नीलम सिंह पुत्र मदनसिंह यादव

3–किशन सिंह पुत्र मदनसिंह यादव

4–सावित्री बाई पुत्री मदनसिंह यादव

5–चिरोंजीबाई बेवा मदनसिंह यादव

निवासीगण ग्राम विजयपुर तहसील राधौगढ़

जिला गुना म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0पी0धाकड़, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री ए0के0अग्रवाल, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/3/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार राधौगढ़ जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–07–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार राधौगढ जिला गुना के समक्ष अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि का सीमांकन कराया गया था जिसमें सर्वे कमांक 481/1/2 रकबा 1.051 हेक्टेयर में से रकवा 0.042 हेक्टेयर भूमि दक्षिण दिशावर्ती भाग पर आवेदकगण का अवैध आधिपत्य होना पाया गया है, अतः प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा उसे दिलाया जाये । उक्त आवेदन पत्र के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 02/अ–70/14–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि अनावेदकगण द्वारा अवैध रूप से बिना उनकी उपस्थिति में अपनी भूमि का सीमांकन कराकर आवेदकगण की भूमि को अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य में दर्शाया गया है । आवेदकगण को जानकारी होने पर उनके द्वारा उनकी भूमि के सीमांकन हेतु दिनांक 21–5–15 को आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था, परन्तु उनके द्वारा उसे 12–6–2015 को अभिलेख पर लिया गया है, जिससे अनावेदकगण की सॉठगॉठ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, अतः उनकी भूमि का सीमांकन कराया जाये तत्पश्चात् प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जाये । नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 28–7–15 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण की भूमि का जिस दिनांक को सीमांकन किया गया है, उस दिनांक को आवेदकगण के घर पर शादी का कार्यकम था, इसलिये वे उपस्थित नहीं हो सके। इस आधार पर कहा गया कि एकपक्षीय हुये सीमांकन के आधार पर संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही करना अनुचित है । सीमांकन प्रकरण में पड़ोसी कृषकों को सूचना देना चाहिये, परन्तु पड़ोसी कृषकों को कोई सूचना नहीं दी गई है । यह भी कहा गया कि चूँकि अनावेदकगण के पीठ–पीछे सीमांकन

किया गया है, इसलिये उक्त सीमांकन का प्रभाव आवेदकगण पर नहीं पड़ता है और अवैध सीमांकन के आधार पर संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण की भूमि का सीमांकन काराया जाये, और यदि सीमांकन में अनावेदकगण की भूमि निकलती है, तब वे उसे छोड़ने को तैयार है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण संहिता की धारा 250 के प्रकरण में सीमांकन को निरस्त कराना चाहते हैं, जबकि संहिता की धारा 250 के प्रकरण में सीमांकन में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है । यह भी कहा गया कि सीमांकन कार्यवाही में आवेदकगण उपस्थित हुये हैं और उनके द्वारा हस्ताक्षर भी किये गये है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन कार्यवाही को वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं देने से वह अंतिम हो गया है ।

5/ प्रतिउत्तर में आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा भी सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदिका की भूमि का सीमांकन कर दिया गया और आवेदकगण का आवेदन पत्र लंबित रखा गया, जबकि तहसील न्यायालय को उभयपक्ष की भूमियों का सीमांकन कर वास्तविक स्थिति के आधार पर कार्यवाही करना चाहिये थी ।

6/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रचलित प्रकरण में संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत उसकी भूमि का सीमांकन शीघ्र कराये जाने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि वैधानिक दृष्टि से उचित कार्यवाही नहीं है । आवेदकगण को चाहिये कि वह उसकी भूमि के संबंध में प्रचलित सीमांकन प्रकरण में अपनी भूमि का शीघ्र सीमांकन कराये जाने संबंधी उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत करें । संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रचलित प्रकरण में शीघ्र सीमांकन कराये जाने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है, अतः तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी

प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिये तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार राघौगढ़ जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–07–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर